निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 388) पटना, सोमवार, 15 अप्रील 2024

सं० 08/आरोप–01–11/2017 सा0प्र0––5162
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
28 मार्च 2024

श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–408/2011(सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापन के दौरान इंदिरा आवास मद की राशि 10,10,416/–(दस लाख दस हजार चार सौ सोलह) रूपये को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियापुर बाजार पैक्स, बरियापुर में रखने संबंधी वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 (ग) के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8227 दिनांक 06.07.2017 द्वारा **''पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षों तक''** करने का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–10793/2020 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"20. In view of the aforesaid deliberations made in the impugned order, it has left with only conclusion that the department ought to proceed under Rule 43(b), but on account of the bar as provided under Rule 43(b)(a)(ii), they have proceeded under Rule 139, without there being any charge of service of the petitioner being thoroughly unsatisfactory.

21. Now coming to rule 139(c) of the Rules, 1950, it specifically states that no such power shall be exercised without giving the pensioner concerned reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken. It is not the case of the respondent that prior to impose punishment under order dated 06-07-2017, any show-cause notice for reduction of pension has been issued to the petitioner- Thus, there has been no compliance of statutory procedure under Rule 139(c) of the Bihar Pension Rules, 1950. Well settled it is that there has been no waiver of statutory right

and in fact compliance is "sine qua non" if the impugned order proposes to cause irreparable loss and injury.

22. In view thereof, the impugned order as contained in Memo No-8227 dated 06-07-2017, held to be unsustainable and hereby quashed-Accordingly, the writ petition stands allowed.

23. The respondents are directed to ensure the consequential benefits, preferably within a period of 12 weeks, from the date of receipt/production of a copy of this order."

माननीय न्यायालय द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8227 दिनांक 06.07.2017 से अधिरोपित दंडोदश को निरस्त करते हुए वादी को 12 सप्ताह के अन्दर सभी परिणामी लाभ देने को कहा गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–10793/2020 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा आदेश दिया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"In the present case admittedly for an allegation of 2005-2006 for the first time a show cause notice was issued on 07-04-2017. No proceeding under Rule 43(b) was permissible- It is undisputed that in no preceding the writ petitioner has been held guilty of misconduct- In the view of the matter question of invocation of Rule 139 does not arise] Writ court has thus not committed any error either in facts or in law- This is not a fit case for filing LPA."

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, अधिरोपित दंडादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 299062 दिनांक 03.02.2017 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 96/गो0 दिनांक 31.12.2016 द्वारा गठित आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप वर्ष 2005–06 का रहने एवं उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2016 होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के निमय–43 (बी0) के तहत् मामला कालबाधित हो गया। अतएव बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध कार्रवाई की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर किये जाने का परामर्श नहीं दिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:–

(i) श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 408/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8227 दिनांक 06.07.2017 द्वारा अधिरोपित शास्ति (पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षों तक करने) को निरस्त किया जाता है।

(ii) पैक्स द्वारा गबन की गई राशि की वसूली के लिए जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निलाम–पत्र वाद दायर किया जाएगा।

(iii) विलम्ब से आरोप–पत्र उपलब्ध कराने वाले दोषी कर्मी/पदाधिकारी को चिन्हित कर नियमानुकूल कार्रवाई जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा की जाएगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 388-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in